

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0030/अ-20(3)/2021-22



आदेश

(दिनांक 21/09/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद , जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2019-सात -शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 18 कुल रकबा 133.32 में से 33.98 है. भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में जांच उपखण्ड अधिकारी सुसनेर-नलखेडा तथा तहसीलदार सुसनेर से करवाई गई। तहसीलदार सुसनेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08.09.2021 में उल्लेख किया कि मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जांच मौजा पटवारी द्वारा करवाई गई। पटवारी ने प्रतिवेदित किया कि प्रस्तावित सर्वे नम्बर की प्रस्तावित भूमि मौके पर पडत व रिक्त तथा नाला है। ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 451.56 हेक्टेयर है जिसके दो प्रतिशत रकबा निस्तार भूमि आरक्षण हेतु रकबा 9.03 है. भूमि की आवश्यकता है तथा वर्तमान में चरनोई गोचर भूमि का रकबा 192.18 हेक्टेयर अभिलेख में अंकित है ,इसलिए यदि उक्त भूमि आवंटित की जाती है तो चरनोई का दो प्रतिशत रकबा प्रभावित नहीं होगा। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ठहराव क्रमांक 02 में ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति दर्शाई गयी है। ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 33.98 हेक्टेयर वृक्षारोपण गैर वन भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	सर्वे नम्बर	रकबा हे.	आवंटित रकबा भूमि (हे.)	भूमि नोईयत
1	461	9.55	9.55	बडीं चरनोई
2	462	5.60	5.60	बडीं चरनोई
3	463	3.06	3.06	बडीं चरनोई
4	468	11.01	11.01	बडीं चरनोई
5	464	0.04	0.04	नाला
6	465	3.63	3.63	बडीं चरनोई
7	466	0.04	0.04	नाला
8	467	1.05	1.05	बडीं चरनोई
	कुल किता 08	कुल रकबा 33.98	33.98	

3/ अतः ग्राम पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 33.98 हेक्टेयर भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन



अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

4/ संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1654/नगानि/अभिमत/2021 उज्जैन, दिनांक 26.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467 एवं 468 कुल रकबा 33.98 भूमि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अंतर्गत नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। अतः उक्त भूमि को नियमानुसार मोरंड गंजाल संयुक्त सिचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त गैर वन भूमि आवंटन किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

5/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला आगर मालवा ने पत्र क्रमांक /डूडा/2021/914 आगर मालवा दिनांक 28.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 461 रकबा 9.55, सर्वे क्रमांक 462 रकबा 5.60, सर्वे क्रमांक 463 रकबा 3.06, सर्वे क्रमांक 464 रकबा 0.04, सर्वे क्रमांक 465 रकबा 3.63, सर्वे क्रमांक 466 रकबा 0.04, सर्वे क्रमांक 467 रकबा 1.05, सर्वे क्रमांक 468 रकबा 11.01 कुल किता 8 कुल रकबा 33.98 हेक्टेयर भूमि की मांग वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है, उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है, भूमि नगर पालिका क्षेत्र की नहीं होने से यदि भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

6/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 17.09.2021 को वर्चुअल गुगल मीट के माध्यम से आनलाईन आयोजित की गयी जिसमें ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 33.98 हेक्टेयर भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7/ अतः जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में उक्त भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा एवं तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम डोंगरगांव तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 461 रकबा 9.55, सर्वे क्रमांक 462 रकबा 5.60, सर्वे क्रमांक 463 रकबा 3.06, सर्वे क्रमांक 464 रकबा 0.04, सर्वे क्रमांक 465 रकबा 3.63, सर्वे क्रमांक 466 रकबा 0.04, सर्वे क्रमांक 467 रकबा 1.05, सर्वे क्रमांक 468 रकबा 11.01 कुल किता 8 कुल रकबा 33.98 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) तथा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

(3)

प्रकरण क्रमांक 0030/अ-20(3)/2021-22



1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी ।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा ।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा ।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

8/ तहसीलदार सुसनेर की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें ।

(अवधेश शर्मा)
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2021/36 i

आगर मालवा, दिनांक 21 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि -

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल जिला शाजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- ✓ 2. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद , जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सुसनेर - नलखेडा ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा ।
5. तहसीलदार सुसनेर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें ।

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0031/अ-20(3)/2021-22



(दिनांक 21/09/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद , जिला खरगोन द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक एफ-6-75-2019-सात -शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी नवीन प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 20 कुल रकबा 147.55 में से 85.06 है. भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में जांच उपखण्ड अधिकारी सुसनेर-नलखेडा तथा तहसीलदार सुसनेर से करवाई गई । तहसीलदार सुसनेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08.09.2021 में उल्लेख किया कि मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 112.42 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर भूमि पडती व अतिक्रमण मुक्त पाई गई व ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अनुसार चरनोई का दो प्रतिशत रकबा भूमि आवंटन में प्रभावित नहीं होता है , पंचो व ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा भूमि को आवंटित करने में मौखिक असहमती भी जताई है। ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर में वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रमांक	सर्वे नम्बर	रकबा हे.	आवंटित रकबा भूमि (हे.)	भूमि नोईयत
1	16	5.65	3.00	गैर मुमकिन बर्डी
2	35	2.51	2.51	बिड
3	151	1.09	1.09	चरनोई
4	158	13.47	12.00	बिड
5	160	6.74	6.00	गैर मुमकिन बर्डी
6	190	10.98	10.00	गैर मुमकिन बर्डी
7	192	10.22	10.00	गैर मुमकिन बर्डी
8	199	7.31	7.00	गैर मुमकिन बर्डी
9	213	1.05	1.05	बिड
10	215	10.39	9.00	बिड
11	193	5.80	5.20	चरनोई
12	34	37.21	18.21	बिड
	कुल किता 12	कुल रकबा 112.42	85.06	



3/ अतः ग्राम पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए तहसीलदार सुसनेर ने ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 112.42 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा को प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा ने तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

4/ संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1655/नगानि/अभिमत/2021 उज्जैन, दिनांक 26.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 16, 35, 34, 151, 158, 160, 190, 192, 193, 199, 213 एवं 215 कुल रकबा 85.06 हे. भूमि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित किसी निवेश क्षेत्र सीमा अंतर्गत नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्र में आती है। अतः उक्त भूमि को नियमानुसार मोरंड गंजाल संयुक्त सिचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उक्त गैर वन भूमि आवंटन किया जाता है , तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

5/ परियोजना अधिकारी , जिला शहरी विकास अभिकरण जिला आगर मालवा ने पत्र क्रमांक /डूडा/2021/914 आगर मालवा दिनांक 28.07.2021 में उल्लेख किया कि ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 16 रकबा 5.65 में से 3.00 हे. , सर्वे क्रमांक 35 रकबा 2.51, सर्वे क्रमांक 34 रकबा 37.21 रकबा 18.21, सर्वे क्रमांक 151 रकबा 1.09 , सर्वे क्रमांक 158 रकबा 13.47 में से 12.00 हे., सर्वे क्रमांक 160 रकबा 6.740 में से 6.00 हे., सर्वे क्रमांक 190 रकबा 10.98 में से 10.00 हे. सर्वे क्रमांक 192 रकबा 10.22 में से 10.00 हे., सर्वे क्रमांक 199 रकबा 7.31 में से 7.00 , सर्वे क्रमांक 213 रकबा 1.05 , सर्वे क्रमांक 215 रकबा 10.39 में से 9.00 , सर्वे क्रमांक 193 रकबा 5.80 में से 5.20 हे. कुल किता 12 कुल रकबा 112.42 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि की मांग वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है, उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र की है , भूमि नगर पालिका क्षेत्र की नहीं होने से यदि भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

6/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 17.09.2021 को वर्चुअल गुगल मीट के माध्यम से आनलाईन आयोजित की गयी जिसमें ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 112.42 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

7/ अतः जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में उक्त भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर-नलखेडा एवं तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 16 रकबा 5.65 में से 3.00 हे., सर्वे क्रमांक 35 रकबा 2.51, सर्वे क्रमांक 34 रकबा 37.21 रकबा 18.21, सर्वे क्रमांक 151 रकबा 1.09, सर्वे क्रमांक 158 रकबा 13.47 में से 12.00 हे., सर्वे क्रमांक 160 रकबा 6.740 में से 6.00 हे., सर्वे क्रमांक 190 रकबा 10.98 में से 10.00 हे. सर्वे क्रमांक 192 रकबा 10.22 में से 10.00 हे., सर्वे क्रमांक



199 रकबा 7.31 में से 7.00 , सर्वे क्रमांक 213 रकबा 1.05 , सर्वे क्रमांक 215 रकबा 10.39 में से 9.00 , सर्वे क्रमांक 193 रकबा 5.80 में से 5.20 हे. कुल किता 12 कुल रकबा 112.42 में से 85.06 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) तथा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 17 के प्रावधान के तहत बिना कर निर्धारण के निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी ।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा ।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा ।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

8/ तहसीलदार सुसनेर की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें ।

(अवधेश शर्मा)
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2021/ 360

आगर मालवा, दिनांक 21 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि -

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल जिला शाजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद , जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सुसनेर - नलखेडा ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा ।
5. तहसीलदार सुसनेर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें ।

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.